पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 47/2025

अनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पचार एवं वकील प्रतिवादीगण कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 248/252 के ख0सं0 267, 284/1, 549, 77, 80 कुल खसरे 5 की 13.2270 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Kalpit

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

न्यायालय : ... कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

...करण सं0 : 47/2025

...नवान :

कृष्ण कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र पचार : वादी
वकील श्री कृष्ण भारी : प्रतिवादी सं0 1 तथा 2

निर्णय

दिनांक : 05.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 248/252 के ...0सं0 267, 284/1, 549, 77, 80 कुल खसरे 5 की 13.2270 है0 बारानी वादभूमि में ...तिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की ...दालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने ...तिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त ...रवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब ...किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी ...सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी ...एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः ...पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में कृष्ण कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी खाता संख्या 103 सम्वत 2029—38 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबड़ी प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी खाता संख्या 248/252 सम्वत 2075—2078 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों ... असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक ... साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा डाबड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 248/252 के

Scanned with CamScanner

0सं0 267, 284/1, 549, 77, 80 कुल खसरे 5 की 13.2270 है0 बारानी वादभूमि में तवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के धार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा षणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 248/252 के ख0सं0 267, 284/1, 49, 77, 80 कुल खसरे 5 की 13.2270 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि हन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner